



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-29.04.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 6,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0163/2022 व एसटी नं०-0262/2025 धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष दुबे उर्फ कमला पुत्र विश्वनाथ दुबे निवासी फतेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-29.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-13/स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त संतोष दुबे उर्फ कमला उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 6,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी